

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-84 / 2011

संस्थित दिनांक- 15.03.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन विभाग
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. बुंदेला सिंह पुत्र महीप सिंह यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम निदानपुर
2. चंदन सिंह पुत्र महीप सिंह यादव साल 55 साल निवासी ग्राम निदानपुर
3. चार्ली सिंह पुत्र लाल सिंह यादव उम्र 30 साल निवासी ग्राम निदानपुर

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध धारा 26 (ज) भारतीय वन अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 21.01.2011 को वन भूमि के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 103 निदानपुर की वन भूमि को खेती के प्रयोजन हेतु उपयोग करते हुये पाया गया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वनपाल रफीक खान दिनांक 18.01.2011 को हमराह वनकर्मी सब रेंज नयाखेडा के स्टॉफ के साथ बीट गोधन के कक्ष क्र आर एफ 103 में पहुंचे तो लगभग डेढ़-दो बीघा वन भूमि पर गेंहू की अंकुरित होती हुई फसल बागड लगी हुई पाई तथा मौके पर पानी देने हेतु प्लास्टिक लेजम फैली हुई पाई गई, उस समय मौके पर कोई नहीं मिला, जिससे मौके पर पंचनामा बनाया गया और सूचना परिक्षेत्र कार्यालय चंदेरी में पेश की गई। वनपाल रफीक खान दिनांक 19.01.2011 को पुनः कक्ष क्र आर0 एफ0 103 में पहुंचे, तो पुनः अतिक्रमण क्षेत्र पर बागड लगी पाई तथा अभियुक्त बुंदेल सिंह मौके पर मिला जो महिलाओं ओर बच्चोंको आगे करके भाग गया जिन्होंने मौके से बागड नहीं हटाने दी। इस घटना के बाद भी मौके पर पंचनामा बनाया गया,

और सूचना परिक्षेत्र कार्यालय प्रेषित की गई। जिसके बाद दिनांक 21.01.11 को पुनः रफीक खान सहित अन्य वन कर्मी घटना स्थल पहुंचे तो वहा अभियुक्त मिले जिन्होंने ने मौके से अतिक्रमण नहीं हटाने दिया और जमीन छोड़ने से इंकार किया। इस घटना के बाद उक्त दिनांक को ही मौके पर पंचनामा बनाया गया तथा गेंहू की जप्ती कर जप्तीपंचनामा बनाकर गेंहू की अंकुरित फसल अभियुक्त चंदन सिंह को सुपुर्दग की गई अभियुक्तगण के कथन लेकर उनको मौके से गिरफ्तार किया गया तथा वन अपराध की पीओआर अंतर्गत धारा 26 (ज) भारतीय वन अधिनियम के तहत वन पाल हनीफ उल्ला के द्वारा काटी गई तथा मय आवश्यक दस्तावेजों के अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.01.2011 को वन भूमि के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 103 निदानपुर की वन भूमि को खेती के प्रयोजन हेतु उपयोग करते हुये पाया गया ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

05— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में तत्कालीन वन पाल रफीक खान (अ0सा0-1) सहित वनपाल हनीफ उल्ला (अ0सा0-2), वन पाल हरीशंकर शर्मा (अ0सा0-3) बीट गार्ड राधेलाल रैकवार (अ0सा0-4) व बीट गार्ड ओमप्रकाश श्रीवास्तव (अ0सा0-5) के कथन न्यायालय में कराये गये। रफीक खां (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि वह सर्व प्रथम दिनांक 18.01.11 को हनीफ उल्ला (अ0सा0-2), हरीशंकर शर्मा (अ0सा0-3) राधेलाल रैकवार (अ0सा0-4) व ओमप्रकाश श्रीवास्तव (अ0सा0-5) के साथ गोधन बीट में कक्ष क्रमांक आर0 एफ0 103 में जंगल गश्त के लिये गया था,

तो उक्त कक्ष में उसने गेंहू की अंकुरित फसल पाई थी, जिसे बागड किये जाने का प्रयास किया था तथा मौके पर ही 35 मीटर लंबी लेजम भी पाई थी, जिस पर उन लोगों ने बागड को एकत्रिक कर जलाकर नष्ट कर दिया था तथा अंकुरित फसल में फसल नष्ट करने के लिये मवेशी प्रवेश करा दिये थे।

06- रफीक खांन (अ0सा0-1) का कहना है कि मौके पर प्रदर्श-पी-11 सी का पंचनामा तैयार किया गया था, जिस पर इस साक्षी ने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। रफीक खांन (अ0सा0-1) का यह भी कहना है कि उक्त घटना की सूचना प्रदर्श-पी-12 सी के द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी गई थी तथा मौके पर ही वनपाल हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) ने लेजम जप्त की थी और जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-13 तैयार किया था। हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) सहित हरिशंकर शर्मा (अ0सा0-3) वनरक्षक राधेलाल (अ0सा0-4) एवं ओमप्रकाश (अ0सा0-5) ने भी अपने अपने कथनों में रफीक खांन (अ0सा0-1) के साथ दिनांक 18.01.2011 को कक्ष क्रमांक 103 में गश्त के लिये जाने एवं मौके पर वन भूमि में गेंहू की फसल बागड से घिरी हुई एवं उसमें एक 35 मीटर लेजम पड़ी हुई पाये जाने की पुष्टि की है।

07- हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) ने अपने कथनों की कण्डिका-3 में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 18.01.2011 को जब वह गश्त के लिये अन्य वनकर्मियों के साथ कक्ष क्रमांक 103 में पहुंचा था, तो वहां पर 1.5 से 2 बीघा जमीन पर बागड लगी हुई फसल पाई थी और मौके पर पानी की लेजम भी मिली थी वन अमले के द्वारा हटाया गया था। इस साक्षी ने मौके पर प्रदर्श-पी-11 सी का पंचनामा बनाये जाने की पुष्टि की है, जिस पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। दिनांक-18.01.2011 को मौके से 35 मीटर पानी की लेजम जप्त की जाने की पुष्टि भी इस साक्षी ने अपने कथनों में की है तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-13 मौके पर ही बनाया जाना एवं उस पर अपने हस्ताक्षर होना इस साक्षी ने अपने कथनों में स्वीकार किया है।

08-जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-13 व मौके पर तैयार किया गया पंचनामा प्रदर्श-पी-11 सी के साक्षी राधेलाल (अ0सा0-4) व हरिशंकर शर्मा (अ0सा0-3) ने भी अपने कथनों में दिनांक-18.01.11 को हनीफ उल्ला के द्वारा मौके पर लेजम जप्त कर प्रदर्श-पी-13 की जप्ती कार्यवाही का समर्थन करते हुये उक्त जप्ती पत्रक पर अपने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा इन साक्षियों ने इस बात की पुष्टि की है कि कक्ष क्रमांक 103 ने 35 मीटर लेजम मौके से

हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) के द्वारा उनके समक्ष जप्ती की गई थीं। रफीक खान (अ0सा0-1) सहित हनीफ उल्ला (अ0सा0-2), वनपाल हरीशंकर शर्मा (अ0सा0-3) बीटगार्ड राधेलाल रैकवार (अ0सा0-4) व बीटगार्ड ओमप्रकाश श्रीवास्तव (अ0सा0-5) का अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से कहना है कि दिनांक 18.01.2011 को मौके पर कोई अभियुक्त नहीं मिला था, इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त दिनांक को कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि मौके पर बागड हटा कर उसे नष्ट किया गया और मवेशी खेत में फसल नष्ट करने के लिये छोड़ दिये थे व मौके हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) के द्वारा 35 मीटर लेजम जप्त की गई थीं।

09-अतः अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित एवं विरोधाभास रहित है कि दिनांक-18.01.2011 को रफीक खान (अ0सा0-1) सहित सभी अभियोजन साक्षी जंगल गश्त में वन भूमि के कक्ष क्रमांक-103 में पहुंचे थे जहां पर वन भूमि लगभग 1.5 से 2 बीघा पर अतिक्रमण कर गेहू की फसल बागड से घिरी हुई उन्होंने पाई थी तथा मौके पर सिंचाई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली 35 मीटर लेजम भी पाई। जिसे हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) ने राधे लाल (अ0सा0-4) व ओमप्रकाश के समक्ष जप्त किया था तथा इस आशय का पंचनामा प्रदर्श-पी-11 सी मौके पर ही तैयार किया गया था, जिस पर सभी साक्षियों ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं तथा रफीक खान (अ0सा0-1) ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस घटना की सूचना प्रदर्श-पी-12 सी के द्वारा वन परिक्षेत्र सहायक को भेजी गई थीं।

10-रफीक खान (अ0सा0-1) सहित सभी साक्षियों ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 18.01.2011 को जब उपरोक्त कार्यवाही की गई तो मौके पर कोई अभियुक्त न मिलने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, और न ही P.O.R. काटी गई, जिसके बाद वह पुनः दिनांक 19.01.2011 को घटना स्थल पर दुबारा गया। रफीक खान (अ0सा0-1) सहित राधेलाल (अ0सा0-4) एवं हरिशंकर (अ0सा0-3) ने अपने कथनों में व्यक्त किया है कि दिनांक 19.01.2011 को उपरोक्त लोगों के अलावा श्याम सिंह भी उनके साथ गया था। रफीक खान (अ0सा0-1) का अपने कथनों की कण्डिका-4 में कहना है कि दिनांक-19.11.2011 को जब वह दुबारा वनकर्मियों के साथ घटना स्थल पर गया था, तो वहां उसे बुंदेल सिंह मिला था जिसने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया था, जिसके कारण वह कोई कार्यवाही नहीं कर सके। रफीक खान (अ0सा0-1) का कहना है कि इस संबंध में मौके पर पंचनामा

प्रदर्श-पी-13 सी तैयार किया गया था। जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।

- 11-अभियुक्त बुदेल सिंह दिनांक 19.1.11 को मौके पर मिला था, इस बात की पुष्टि हनीफ उल्ला (अ0सा0-2), राधेलाल (अ0सा0-4) व हरिशंकर (अ0सा0-3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में की है तथा इन साक्षियों का भी रफीक खान (अ0सा0-1) के कथनों के समर्थन में यह कहना है कि बुंदेल सिंह ने दिनांक 19.01.2011 को महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया था तथा स्वयं वहां से चला गया था तथा महिलाओं और बच्चों के कारण मौके पर वह कोई कार्यवाही नहीं कर सका। मौके पर बुंदेल सिंह दिनांक 19.01.2011 को मिला था इस संबंध में रफीक खान (अ0सा0-1) व ओमप्रकाश (अ0सा0-5) के कथनों में निश्चित रूप से विरोधाभास की स्थिति है, जिसमें रफीक खान (अ0सा0-1) न्यायालय में उपस्थित आरोपी चंदन सिंह को दिनांक 19.01.2011 को मौके पर देखना बताता है। वहीं ओमप्रकाश (अ0सा0-5) दिनांक 19.01.2011 को सभी अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति होना अपने कथनों की कण्डिका-2 में बताता है वहीं कण्डिका-4 में इस साक्षी का कहना है कि कोई आरोपी उसे नहीं मिले थे।
- 12-हनीफ उल्ला (अ0सा0-2), हरिशंकर (अ0सा0-3), व राधेलाल (अ0सा0-4) ने अपने मुख्यपरीक्षण के कथनों में यह कथन दिये है कि दिनांक 19.01.11 को जब वह दुबारा मौके पर पहुंचे, तो उन्हें नई बागड लगी मिली थी, क्योंकि दिनांक 18.01.11 को उनके द्वारा पूर्व की बागड हटा कर जला दी गई थी। उपरोक्त संबंध में राधेलाल ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में विरोधाभास स्वरूप मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों से पलटते हुये यह अवश्य व्यक्त किया है दिनांक 19.01.2011 को मौके पर बागड लगी नहीं मिली थी, परन्तु इस संबंध में हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) व हरिशंकर (अ0सा0-3) की साक्ष्य अखण्डित है, जिसमें कोई तात्त्विक विरोधाभास की स्थिति नहीं है।
- 13-यह उल्लेखनीय है कि रफीक खान (अ0सा0-1) निश्चित रूप से दिनांक 19.01.2011 को मौके पर बुदेल सिंह का मिलना एवं उसी के द्वारा महिलाओं और बच्चों को आगे करना अपने मुख्यपरीक्षण में बताने के बाद अपने प्रतिपरीक्षण में चंदन सिंह को देखकर उसे मौके पर उपस्थित होना बताता है, वहीं दिनांक 19.01.2011 को मौके पर बागड लगी थी या नहीं इस संबंध में राधेलाल (अ0सा0-4) के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है, परन्तु उपरोक्त

साक्षियों के कथनों में उत्पन्न हुआ उपरोक्त विरोधाभास तात्त्विक स्वरूप का नहीं है। घटना इन साक्षियों के कथन देने की दिनांक से लगभग 6 वर्ष पूर्व की है। अभियुक्तगण वन कर्मियों से पूर्व से परिचित थे, यह भी अभिलेख पर आई साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है कि ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की स्मरण शक्ति भिन्न-भिन्न होने से उनके कथनों में समय के साथ इस तरह का मामूली विरोधाभास आना स्वभाविक है।

14—दिनांक 19.01.2011 को बुंदेल सिंह मौके पर मिला था इस संबंध में हनीफ उल्ला (अ0सा0-2), हरिशंकर (अ0सा0-3), राधेलाल (अ0सा0-4) की साक्ष्य अखण्डित है तथा सभी साक्षियों ने इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि महिलाओं और बच्चों को आगे कर देने के कारण एवं मौके से बुंदेल सिंह के भाग जाने के कारण मौके पर वह दिनांक 19.01.2011 को कोई कार्यवाही नहीं कर सके जिसके बाद दिनांक 19.01.2011 को मौके पर ही पंचनामा प्रदर्श-पी-13 सी तैयार किया गया था, जिस पर सभी साक्षियों ने अपने-अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। अतः वनकर्मि दिनांक 19.01.2011 को मौके पर पहुंचे थे तथा बुंदेल सिंह के द्वारा महिलाओं को आगे करने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस संबंध में साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि पंचनामा प्रदर्श-पी-13 सी से भी होती है। अतः अभियोजन साक्षियों की दिनांक 19.01.2011 को हुई घटना के संबंध में दी गई अखण्डित साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं रह जाता है।

15—रफीक खांन (अ0सा0-1) सहित हनीफ उल्ला (अ0सा0-2), वनपाल हरीशंकर शर्मा (अ0सा0-3) बीट गार्ड राधेलाल रैकवार (अ0सा0-4) व बीटगार्ड ओमप्रकाश श्रीवास्तव (अ0सा0-5) ने अपने कथनों में एक राय होकर अखण्डित कथन दिये हैं कि दिनांक 21.01.11 को वह पुनः कक्ष क्रमांक 103 पर गये थे, जहां तीनों अभियुक्तगण वनकर्मियों को मिले थे और अतिक्रमण हटाने का कहने पर अभियुक्तगण ने अतिक्रमण हटाने से इन्कार कर दिया था और साथ में यह भी कहा कि प्रकरण बना कर न्यायालय में भेज दो, जिसके बाद मौके पर प्रदर्श-पी-1 का पंचनामा तैयार किया गया था, जिस पर सभी साक्षियों ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। रफीक खांन (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) के द्वारा पंचनामा प्रदर्श-पी-1 उसके समक्ष बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा स्वयं हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) ने भी प्रदर्श-पी-1 का पंचनामा मौके पर लेख करना एवं उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

- 16- दिनांक 21.01.2011 को तीनों अभियुक्तगण वनकर्मियों को मौके पर मिले थे और उन्होंने ने अतिक्रमण हटाने से इन्कार कर वनकर्मियों को न्यायालय में प्रकरण लगाने का कह दिया था, इस संबंध में अभियोजन साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि पंचनामा प्रदर्श-पी-1 से भी होती हैं। रफीक खान (अ0सा0-1) का अपने कथनों में यह कहना है कि उक्त दिनांक को ही उसने मौके पर अभियुक्तगण को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श-पी-2, 3 व 4 के अनुसार गिरफ्तारी किया था तथा अभियुक्तगण के कथन प्रदर्श-पी-5 लगायत 7 उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, उपरोक्त दिये गये कथनों को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती रफीक खान (अ0सा0-1) के संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में नहीं दी गई। मौके पर रफीक खान (अ0सा0-1) ने फसल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-11 बनाये जाने की पुष्टि की है जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होने के साथ उक्त फसल को चंदन सिंह को प्रदर्श-पी-8 के अनुसार सुपुर्दगी पर दिया जाना बताया है।
- 17- रफीक खान (अ0सा0-1) के द्वारा दिनांक 21.01.2011 को मौके पर की गई अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं उनके लिये कथन व फसल जप्त करने के उपरांत दी गई सुपुर्दगी की कार्यवाही को इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई विशेष चुनौती बचाव पक्ष के द्वारा नहीं दी गई और न ही उक्त कार्यवाही के खण्डन में प्रतिरक्षा स्वरूप अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई। हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-11 व सुपुर्दगीनामा प्रदर्श-पी-8 की कार्यवाही अपने-सामने की जाने की पुष्टि की है तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है तथा इस साक्षी ने गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-2 लगायत 4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकर करने के साथ प्रदर्श-पी-1 का पंचनामा प्रदर्श-पी-1 मौके पर लेख कर उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है।
- 18- अतः दिनांक 21.01.2011 को वनकर्मी तीसरी बार कक्ष क्रमांक 103 पर गये थे और मौके पर उन्हें अभियुक्तगण मिले थे और उन्होंने वन भूमि में अतिक्रमण छोड़ने से इन्कार किया था, इस संबंध में सभी साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित एवं विरोधाभास रहित है तथा साक्षियों के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि मौके पर तैयार किये गये पंचनामा प्रदर्श-पी-1 से भी होती है। इन सभी साक्षियों ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वाहन में संपूर्ण कार्यवाही की है तथा इन साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित होने से एवं कोई तात्त्विक विरोधाभास की गई कार्यवाही के संबंध में उत्पन्न न होने से इन साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई

कारण अभिलेख पर नहीं है।

19—बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क प्रतिरक्षा स्वरूप यह है कि दिनांक 18.01.2011 को ही या दिनांक 19.01.2011 को अभियुक्तगण की जानकारी होने के बाद भी अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ तथा प्रकरण देरी से पंजीबद्ध हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.01.2011 को मौके पर कोई अभियुक्तगण नहीं मिला था, इस संबंध में साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित है और संभवतः यही कारण से उक्त दिनांक को P.O.R. नहीं काटी गई। दिनांक 19.01.2011 को निश्चित रूप से साक्षियों ने बुंदेल सिंह के मौके पर मिलने के संबंध में कथन दिये हैं, परन्तु उक्त दिनांक को महिलाओं को आगे कर देने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पाने के संबंध में भी इन साक्षियों ने युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया है। राधेलाल (अ0सा0-4) का स्वयं यह कहना है कि महिला पुलिसकर्मी साथ में न होने से उक्त दिनांक को कोई कार्यवाही नहीं हुई।

20—प्रकरण में P.O.R. प्रदर्श-पी-12 दिनांक 21.01.2011 को हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) काटी गई थीं, इस बात की पुष्टि स्वयं हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) ने की है। दिनांक 18.01.2011 से लेकर दिनांक 21.01.2011 को वनकर्मियों के द्वारा निरंतर घटना स्थल पर पहुंचकर कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य की गई है तथा इस अवधि में P.O.R. न काटे जाने का एक युक्तियुक्त स्पष्टीकरण भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया। अतः मात्र P.O.R. दिनांक 18.01.2011 अथवा 19.01.2011 को न काटे जाने से अभियोजन घटना को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। हनीफ उल्ला (अ0सा0-2) ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में रफीक (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में एवं ओमप्रकाश श्रीवास्तव (अ0सा0-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह स्पष्ट किया है कि वन भूमि की पहचान के संबंध में मौके पर सीमा चिह्न बने हैं, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि आरोपीगण का वन भूमि पर अतिक्रमण है। घटना स्थल को चिह्नित करने के लिये प्रदर्श-पी-9 का नजरी नक्शा सहित प्रदर्श-पी-10 सी की टोपो शीट प्रस्तुत की गई है, जिसमें वन भूमि में सीमा चिह्नों के अंदर अतिक्रमण स्थल दर्शाया गया है। अभियुक्तगण की ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं है उक्त स्थल से लगी हुई उनकी राजस्व की कोई भूमि है या राजस्व की किस सर्वे क्रमांक की भूमि पर उनका अतिक्रमण है। अतः वन सीमा में अभियुक्तगण के कब्जे का कोई युक्तियुक्त आधार या प्रतिरक्षा अभियुक्तगण के पास नहीं है। वनकर्मियों के द्वारा की गई कार्यवाही

अपने पदीयें कर्तव्य के निर्वाहन में की गई जो उनके कथनों से साबित होती हैं।

- 21- उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि रफीक खान (अ0सा0-1) सहित हनीफ उल्ला (अ0सा0-2), वन पाल हरीशंकर शर्मा (अ0सा0-3) बीटगार्ड राधेलाल रैकवार (अ0सा0-4) व बीटगार्ड ओमप्रकाश श्रीवास्तव (अ0सा0-5) सर्व प्रथम दिनांक 18.01.2011 को कक्ष क्रमांक 103 में गये थे, जहां उन्होंने 1.5 से 2 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने के बाद मौके पर बागड नष्ट कर लेजम की जप्ती की थीं तथा अभियुक्तगण की जानकारी न होने से वह पुनः दिनांक 19.01.2011 को घटना स्थल पहुंचे थे तथा बुदेल सिंह के द्वारा महिलाओं को आगे कर देने से वह कोई कार्यवाही नहीं कर सके जिसके बाद दिनांक 21.01.2011 को वह सभी पुनः घटना स्थल पर पहुंचे थे जहां अभियुक्तगण के मिलने एवं उनके द्वारा अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 26 (ज) भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रदर्श-पी-12 की P.O.R. काट कर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
- 22-अतः अभिलेख आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक- 21.01.2011 को वन भूमि के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 103 निदानपुर की वन भूमि को खेती के प्रयोजन हेतु उपयोग करते हुये पाया गया।
- 23- फलतः अभियुक्त बुंदेला सिंह पुत्र महीप सिंह यादव, चंदन सिंह पुत्र महीप सिंह यादव एवं चार्ली सिंह पुत्र लाल सिंह यादव को भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (ज) के उल्लंघन के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप अभियुक्त अभियुक्त बुंदेला सिंह पुत्र महीप सिंह यादव, चंदन सिंह पुत्र महीप सिंह यादव एवं चार्ली सिंह पुत्र लाल सिंह यादव को भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (ज) में प्रत्येक अभियुक्त को 3-3 माह (तीन-तीन माह) के साधारण कारावास एवं 200-200/- रुपये (दो-दो रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

24- अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)